

कार्यालय प्रधानाचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक,  
संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर ।

(दूरभाष नं.0294-2418258),

(ई.पी.ए.बी.एक्स नं.0294-2528811-19 एक्सटेंशन नं. 100)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## मार्ग दर्शन

धारा-6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र

आवेदन के समय निर्धारित शुल्क 10/-

(बी.पी.एल.नागरिक के लिए निःशुल्क)

(शुल्क- नगद/बैंकर्स चैक/पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट से जमा करवाए)

(नगद राशि की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ रसीद संलग्न करें)

धारा-19(1) के अन्तर्गत - प्रथम अपील आवेदन पत्र

(मियाद 30 दिवस)

प्रथम अपील आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं।

### सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा

धारा-7(1) आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि में।

धारा-5(2) व 6(3) यदि आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी को या दूसरे लोकप्राधिकारी को दिया जाता है। 35 दिन की अवधि में।

धारा-7(1) व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित सूचना है तो 48 घंटे की अवधि में।

धारा-(11) -यदि सूचना ऐसी जिसमें तृतीय पक्ष के हित जुड़े हो तो 40 दिन की अवधि में।

**सूचना प्राप्त करने का अधिकार-** गृह विज्ञान राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:  
एफ.3(25)गृह/ 6/2006 दिनांक 5 जून,2007 एवं अधिनियम की धारा 6 के अनुसार।

प्रत्येक भारत का नागरिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

संस्था, समूह या पदाधिकारी की हैसियत से इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना नहीं मांग सकता।

धारा-19(3) से 19(10) के अन्तर्गत द्वितीय अपील राजस्थान सूचना आयोग को, मियाद 90 दिन।

## सूचना का शुल्क निम्न प्रकार है।

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| आवेदन शुल्क(प्रार्थना पत्र के साथ) | 10/-रूपये  |
| अधिलेख के निरीक्षण के लिए          | प्रथम घंटे कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक या उसके भाग के लिए 5/-रु.    |
| प्रतिलिपि ए-4 या ए-3 आकार में      | 2/-रु.प्रति पृष्ठ  |
| सेम्पल या मोडल के लिए              | वास्तविक लागत किमत   |
| डिस्क या फलोपी के लिए              | 50/- रु.प्रति फलोपी या डिस्क   |
| मुद्रित सूचना के लिए               | नियत मुल्य या प्रकाशन के उद्घरणों की प्रतिपृष्ठ फोटोकोपी के लिए 2/-रु. |

1. समस्त नागरिक या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप सूचना का अधिकार होगा।
2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6(1) अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के पेटे देय निर्धारित राशि का मांग पत्र प्रेषण तिथि से आवेदक द्वारा राशि जमा कराने की तिथि तक की अवधि सूचना देने हेतु निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सम्मिलित नहीं की जावेंगी।
3. तृतीय पक्षकार की सूचना मांगे जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 11 के प्रावधानों की पालना करते तृतीय पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए ही सूचना उपलब्ध करवायी जावेगी।
4. द्वितीय अपील धारा 19(3) के अन्तर्गत सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग कार्यालय का पता-सी-विंग, वित्त भवन, जनपथ, राजस्थान विधानसभा के पास, ज्योति नगर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

इस महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालयों के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी निम्न है:-

| संस्था का नाम                            | लोक सूचना अधिकारी एवं दूरभाष संख्या   | अपील अधिकारी एवं दूरभाष संख्या   | द्वितीय अपील अधिकारी |
|--|---|--|----------------------|
| र.ना.टै.मेडिकल कॉलेज, उदयपुर             | अतिरिक्त प्रधानाचार्य<br>0294-2418258<br>0294-2528811-19<br>एक्सटेंशन नं. 102 | प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक<br>0294-2418258<br>0294-2528811-19<br>एक्सटेंशन नं. 101 | राज्य सूचना आयोग     |
| महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर  | अधीक्षक,<br>0294-2414305  | यथा  | यथा                  |
| पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर | अधीक्षक<br>0294-2528811-19<br>एक्सटेंशन नं. 304                               | यथा  | यथा                  |
| टी.बी.होस्पिटल बड़ी, उदयपुर              | अधीक्षक<br>0294-2453599   | यथा  | यथा                  |

संलग्न:- धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 संलग्न है।

धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील का प्रारूप परिशिष्ट-2 संलग्न है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक,  
संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर ।

परिशिष्ट-1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी,  
कार्यालय.....उदयपुर।

1. आवेदक का पूरा नाम.....
2. पता.....
3. सूचनाओं की विशिष्टता  
सूचना की प्रकृति.....  
अवधि.....  
सूचना का विवरण.....
4. क्या फीस क संदाय का सबूत संलग्न कर दिया है:
  1. आवेदन शुल्क रु.10/- नकद रसीद संख्या/चालान/डीडी/बैंकर चैक/ पोस्टल ऑर्डर संख्या.....दिनांक.....  
बैंक का नाम.....
  2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क रूपये.....

स्थान  
दिनांक:-

(आवेदक के हस्ताक्षर),  
मय पता.....

फोन/मोबाईल नं.....

कार्यालय प्रधानाचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियन्त्रक,  
संयुक्त चिकित्सालय संघ, उदयपुर ।

परिशिष्ट-2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

सेवामें,

श्रीमान् प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक  
(प्रथम अपील अधिकारी)

1. अपीलार्थी का नाम व पता.....  
.....
2. र.ना.टै.मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता.....  
.....
3. सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र देने का क्रमांक व दिनांक एवं पूर्व में प्रेषित किये गये पत्रों की छाया प्रतियां.....  
.....
4. दिनांक जिस दिन आवेदन देने से 30 दिन अधिक होते है.....  
.....
5. अपील का आधार:  
क. समय सीमा में प्रत्युत्तर नहीं मिलना.....  
ख. प्रत्युत्तर नहीं मिलना.....  
ग. अन्य कारण.....
6. अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य  
क. चाही गई सूचना.....  
ख. विषय.....  
.....
7. अपीलार्थी द्वारा सत्यापन.....में श्री..... यह सत्यापित करता हूँ कि अपील के अनुच्छेद संख्या 1 से 7 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य एवं सही है और कुछ भी नहीं छिपाया है तथा इस विषय पर मैंने पूर्व में अपील नहीं की है।  
स्थान  
दिनांक:-

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर),  
मय पता.....  
.....

फोन/मोबाईल नं.....

नोट-कृपया अपील आवेदन मय अनुलग्नक 2 प्रतियों में प्रस्तुत करें।